संख्या-75/2023/401/006-23-9-2022-04नाबार्ड(स0मा0)-2018

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया, उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के नाबार्ड पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद देवरिया के 01 चालू कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2583/7सी/नाबार्ड-24/एस0सी0पी0, दि0 21.09.2022 के क्रम में शासनादेश सं0-60/2023/487/006-23-9-2022-04नाबार्ड(एसएम)-2018, दिनांक 14.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि जनपद देवरिया में सोपरी होते हुए यादव टोला सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-75/2018/1106/23-9-2018-08नाबार्ड(स0मा0)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2018 द्वारा रू0 140.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 56.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तत्पश्चात में शासनादेश सं0-130/2020/907/23-9-2020-05नाबार्ड(स0मा0)/2018, दिनांक 26.10.2020 द्वारा रू0 28.17 लाख की निर्गत की जा चुकी है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त पत्र दि0 21.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया है एवं प्रारूप-1 में उक्त कार्य पर गठित अनुबंध के आधार पर बचत की धनराशि रू0 24.31 लाख दर्शायी गयी है। इस प्रकार जनपद देवरिया के प्रश्नगत कार्य पर अवशेष धनराशि रू0 32.04 लाख के संबंध में आपके उक्त पत्र दि0 21.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0-60/2023/487/006-23-9-2022-04नाबार्ड(एसएम)-2018, दिनांक 14.03.2023 द्वारा रू0 32.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- संज्ञान में आया है कि उक्त कार्य पर शासनादेश सं0-10/2022/1231/23-9-2021-01नाबार्ड(स0मा0)/ 2020, दिनांक 06.01.2020 द्वारा रू0 49.06 लाख की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है, जिसका उल्लेख आपके उक्त पत्र दि0 21.09.2022 में नहीं किया गया है न ही इसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

4- इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश सं0-60/2023/487/006-23-9-2022-04नाबार्ड(एसएम)-2018, दिनांक 14.03.2023 की तालिका के क्रमांक-1 पर उल्लिखित जनपद देवरिया के सोपरी होते हुए यादव टोला सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 32.04 लाख निरस्त पढ़ा व समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त शासनादेश सं0-60/2023/487/006-23-9-2022-04नाबार्ड(एसएम)-2018, दिनांक 14.03.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज/संबंधित मण्डालायुक्त ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3- जिलाधिकारी, जालौन।
4- महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
8- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
9- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
10- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
13- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in